



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/5458-5490

दिनांक : 28.03.2023

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त, राजस्थान।


अति आवश्यक

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नगरीय निकायों में किये गये कार्यों की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी करवाने एवं योजना की जिले में सफलता को दर्शाते हुये लघुफिल्म एवं कॉफी-टेबल बुक बनवाने के क्रम में।

प्रसंग:-मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2023 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आपके जिले की विभिन्न नगरीय निकायो क्षेत्रों में कराये गये स्थायी प्रकृति के कार्य यथा पार्क, शमशान/कब्रिस्तान, बावड़ी (परंपरागत जल स्रोत), पेन्टिंग, खेल मैदान/स्टेडियम, इंटरलॉकिंग सौन्दर्यीकरण के कार्यों पर Good Quality की लघु फिल्म तथा छायाचित्र तैयार करवाकर इस विभाग को दिनांक 30.04.2023 तक भिजवाये जाने का श्रम करावे।

उपरोक्त कार्यों के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर के माध्यम से करवाया जाकर, कार्यों पर किया गया व्यय इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किया जावेगा।



(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/5491-5740

दिनांक: 28.03.2023

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान, को प्रेषित कर लेख है कि संभाग के सभी जिला स्तरीय नोडल निकाय से समन्वय कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।
5. आयुक्त, नगर निगम/परिषद (समस्त जिला स्तरीय नोडल निकाय) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।
6. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय नोडल निकाय से समन्वय कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव